राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	270/2011 शिवबिहारी बनाम कन्हैयालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा हक़ खातेदार एवं इन्द्राज दुरुस्ती इस आशय का पेश किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 793 कुल रकबा 13 बीघा 03 विस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ में स्थित हैं। जो वादीगण की पुस्तैनी विरासती भूमि हैं। वादीगण के पूर्वज जीवत रहे तब तक वादीगण के हकपूर्वज रामधन सहित वादीगण भूमि वादग्रस्त पर काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु बाद वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं एवं स्वर्गीय श्री रामधन की मृत्यु के बाद वादीगण ही बहैसियत खातेदार वादग्रस्त भूमि को काश्त करते आ रहे हैं एवं वादीगण ही लगान राज में जमा कराते आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अपनी वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर दिनांक 14.05.2010 को वादीगण को जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती साकिन देह अनुसार राहिन इन्द्राज गलत अंकित चली आ रही हैं। उक्त राहिन इन्द्राज की जानकारी होते ही वादीगण ने राहिनदारों के सम्बन्ध में जानकारी की तो वादीगण को जानकारी हुई की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज राहिन इन्द्रजात आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हैं। भूमि वादग्रस्त को वादीगण के हक पूर्व अधिकारियों ने आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगासहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती के हित में या उनके पूर्वजों के हित में कभी भी रहन/गिरवी इन्द्राज नहीं कराया, लेकिन फिर भी वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती का राहिन इन्द्राज गलत चला आ रहा है। भूमि वादग्रस्त को वादीगण के हक पूर्वाधिकारी काश्त करते थे, उनके बाद मूल खातेदार रामधन के वारिसान वादग्रस्त भूमि पर एवं वादीगण सहकृषक के रूप में अपने-अपने हिस्सों मुताबिक काश्त करते आ रहे हैं तथा वादग्रस्त भूमि को आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती के राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शिवबिहारी बनाम कन्हैयालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हित में कभी भी रहन / गिरवी नहीं रखा गया हैं। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होकर बतौर राहिन गलत अंकित होकर दर्ज चला आ रहा है एवं राहिन इन्द्राज विधि विरूद्ध है जो कि कानूनन काबिले दूरुस्त हैं जिसके वादीगण अधिकारी हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात धारा 43 के तहत भी कोई भूमि किसी व्यक्ति के हक में राहिन रखी जाती हैं | निश्चित समयावधि 20 वर्ष के पश्चात भूमि स्वतः ही रहनमुक्त समझी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर राहिन को दुरूस्त किया जायेगा। उसके उपरान्त कानूनी प्रावधानों में संशोधन के पश्चात वर्तमान में तो 3 वर्ष के पश्चात ही भूमि स्वतः ही रहन मुक्त समझी जाकर दुरूस्त इन्द्राज करने का प्रावधान किया जा चुका हैं। वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में दर्ज राहिन इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने से दूरूस्ती योग्य हैं तथा वादीगण राहिन इन्द्राज को दूरुस्त कराने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज राहिन इन्द्राज काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही दूरूस्ती योग्य है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज राहिनदार व्यक्ति के फोत होने के साथ ही राहिनदार व्यक्ति के राहिन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा राहिनदार व्यक्ति की विरासत बतौर राहिन भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया जा सकता हैं, जिससे मृतक राहिनदारों के वारिसान की जानकारी करना व उन्हे रिकार्ड पर पक्षकार बनाने की आवश्यकता भी नहीं हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती के हक में राहिन का इन्द्राज गलत रूप से प्रविष्ठ / इन्द्राज हो रहा हैं जो कि खिलाफ कानून हैं तथा वादीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि कभी गिरवी / रहन नहीं रखी गई थी। इसलिए भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चले आ रहे राहिन इन्द्राज को हटाया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में जरूरी हैं। दिनांक 14.05.2010 को वादीगण ने प्रथम बार अपनी कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में जमाबन्दी प्राप्त किया तो जानकारी में आया की वादीगण के हक हकूक खातेदारी वादगस्त कृषि भूमि आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती के नाम से राहिन इन्द्राज गलत दर्ज होकर चली आ रही हैं तो राहिन इन्द्राज को दूरूस्त कराने हेतु दिनांक 25.12.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया तो राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को दूरूस्त करने से साफ मना करते हुए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का निर्देश देने से वाद कारण उत्पन्न होकर वाद करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सख्या 1 को भू स्वामी होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

गया हैं जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वाद में नहीं चाहा गया हैं। अन्त में प्रार्थना कर कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 793 रकबा 13 बीघा 03 विस्वा भूमि स्थित ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाकर तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगा सहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती मुर्तहीन सा. देह के मुर्तहीन राहिन इन्द्राज को निरस्त/हजफ (बागुजास्त) किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21/03/2011 पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करते हुये ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 793 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगासहाय, रामेश्वर पुत्रान मांगीलाल हिस्सा 1/2 जातियान खाती साकिन देह के मूर्तहीन राहिन इन्द्राज को निरस्त/हजफ किया जाकर उनके वारिसान राहिन इन्द्राज हक़ अधिकार को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत हुई | जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन घोषणा हक़ खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तारीख पेशीयो में ही बिना विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना किये तथा तामील हेतु निर्धारित प्रक्रियाओ की अनुपालना किये ही एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं क़ानूनी सिद्धान्तों के विपरित जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद में जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने के अंकित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत होते है | अत: अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शिवबिहारी बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि वे प्रतिवादीगण की तामील हेतु निर्धारित प्रक्रियाओ की अनुपालना करने के उपरान्त वाद में आवश्यक तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर, प्राप्त साक्ष्य-सबूत सबूत का तनकीवार विस्तृत विश्लेषण/विवेचन करते हुये वाद का निस्तारण करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को डिक्री कर दिया गया, जो क़ानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय प्रतीत होता है।	
	अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद के तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 06/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	